

19-7-19 पत्रावली आज पेश हुई।

कपीलांश द्वारा यह कपीला लोक सूचना
मार्गदर्शी तहसीलदार सोजत द्वारा R.T.I. के तहत
समाप्त नहीं हो सकी है। उपरोक्त नहीं करते या उनके
सूचना अभी हेतु पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा
लिखे जाने पर उनके कॉपी फॉक रीट/19/पाप
डिपेंडें 13-6-19 के इस न्यायालय के अकार कराने कि
रिट के फॉक/पाप/19/1798 डि. 13-6-19 के अकार
लिखा दिया है। जिसकी प्रति भी संलग्न प्रेषित की है।
इस सम्बन्ध में कपीलांश को लिखा जावे।
इस बावत सूचित कर कि आपके प्रेषित
सूचना में किसी प्रकार से आप संतुष्ट नहीं
हैं तो लोक सूचना मार्गदर्शी तहसीलदार को
सूचित करें साथ ही इस न्यायालय को भी
सूचना प्रेषित करें। जिससे उनके अधिक सूचना
उपलब्ध कराने हेतु यावन्तु किया जा सके इसका
लिखा जावे। वरन्त में इस तरह या पत्रावली
में कार्यवाही प्रेषित नहीं होने से पत्रावली
अपन की जाती है।

पत्रावली शुभारंभ के लिए की जाकर

नाम से कर हो।

जिला कलेक्टर, पाली